समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र /2014 पुनर्विलोकन - रिव्यू - 4224-I/14

(46)

घीसालाल पुत्र श्री काशीराम धाकड निवासी ग्राम उदयपुरा तहसील जावद जिला –नीमच म0प्र0 ।

.........आवेदक /निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. फ्लानबाई पिता काशीराम धाकड
2. कैलाशबाई पिता काशीराम धाकड निवासीगण उदयपुरा तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0
3. म0प्र0 शासन ।

............अनावेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा आज दि. 18/12/14 प्रस्तुत

18-12-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 , न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (प्रशासकीय सदस्य माननीय मनोज गोयल साहब) के प्रकरण क्र 4367/एक/2012 मे पारित आदेश दिनांक 2.9.2014 को पुर्नविलोकन बावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र 127/11–12 अपील मे पारित आदेश दिनांक 17.9.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.9 2014 से स्वीकार न करते हुये अधिनस्थ न्यायालय के आदेश मे कोई गलती एंव अनियमितता न पाते हुये आदेश दिनांक 2.9.2014 से निरस्त की गई ।
2. यहकि, आवेदक को ग्राम उदयपुरा तहसील जावद की भूमि सर्वे क्रमाक 168 रकबा 0.26 हैक्टर एंव सर्वे क 171 रकबा 0.56 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.82 हेक्टर का मात्र पटटा लगभग साल 1984 मे आवेदक के पिता काशीराम धाकड को विधिवत एंव नियमानुसार प्रदान किया गया था तभी से आवेदक के पिता उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे।

(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 4224–एक/14 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.02.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 4367–एक/12 में पारित आदेश दिनांक 02–09–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	